न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

प्रकरण क्रमांक- निगरानी 1955-दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-03-2014 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल का प्रकरण क्रमांक 16/निग./2011-12

....

१- श्रीमती सुमन बाई पत्नी श्री नन्कु अहिर
निवासी-ग्राम बलपुरवा, तहसील सोहागपुर,
जिला-शहडोल (म.प्र.)

२- श्रीमती निर्मला पत्नी श्री किशन यादव
निवासी-ग्राम बलपुरवा, तहसील सोहागपुर,
जिला-शहडोल (म.प्र.)

------------आवेदिकागण

विरूद्ध

१- मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर महोदय, शहडोल (म.प्र.)

२- आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.)

३- तहसीलदार सोहागपुर, जिला- शहडोल (म.प्र.)

-----------अनावेदकगण

....

श्री दिनेश दीक्षित, अभिभाषक, आवेदिकागण

20.9.18

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20.9.18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-03-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार सोहागपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर शहडोल के समक्ष दिनांक 14-05-2010 को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम बलपुरवा, जिला-शहडोल की आराजी क्रमांक 11 रकबा 3.09 एकड़ शासकीय तालाब, आराजी खसरा

क्रमांक 54 क्रमांकरकबा 0.54 एकड़ भीटा शासकीय वर्ष 1924-25 कि अभिलेखों में दर्ज है। वर्ष 1958-59 आराजी खसरा नंबर 11 एवं 54 में सुधुवा बल्द समुहा ढीमर दर्ज था। कालान्तर में भूमि का नया खसरा नंबर क्रमश: 27 एवं 28 हुआ, जिसमें अब कई भूमिस्वामियों के नाम दर्ज है। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन पर रीवा राज्य का कानून मालगुजारी, काश्तकारी अधिनियम, 1935 एवं विन्ध्य प्रदेश मालगुजारी तथा काश्तकारी अधिनियम, 1953 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये यह प्रतिवेदित किया कि इस विधि के अनुसार बाग की भूमि, चारागाह, तालाब, सरकारी बांध आदि में किसी को भी पटटेदार कास्तकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगें और न समझे जायेंगे, तथा जो आराजियॉ पूर्व में तालाब या तालाब भीटा दर्ज थी, उन पर कई लोगों के द्वारा आवासीय भवन निर्मित किये गये थे, उन भूमिस्वामियों के नाम विलोपित करते हुये प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय दर्ज किये जाने का लेख किया है। जिस पर कलेक्टर शहडोल ने रीवा राज्य का कानून मालगुजारी तथा काश्तकारी 1935 विन्ध्य प्रदेश मालगुजारी तथा काश्तकारी 1953 एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही करते हुये दिनांक 25-07-2011 को आवेदिकागण के विरूद्ध आदेश पारित किया । कलेक्टर शहडोल के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिकागण द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 29-09-2011 को निगरानी में परिवर्तित किये जाने का आवेदन पत्र पर सुनवाई उपरांत निगरानी ग्राहय की गई। आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 16/निग./2011-12 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 13-03-2014 से सभी तालाब राज्य शासन में वेष्टित किये जाने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सोहागपुर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर शहडोल के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें रीवा राज्य का कानून मालगुजारी, काश्तकारी अधिनियम, 1935 एवं विन्ध्य प्रदेश मालगुजारी तथा काश्तकारी अधिनियम, 1953 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये आवेदिकागण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर किये गये कब्जा को हटाये जाने तथा प्रश्नाधीन भूमियों को पूर्ववत शासकीय दर्ज किये जाने का हवाला दिया गया । विन्ध्य प्रदेश मालगुजारी तथा कास्तकारी अधिनियम 1953 के अध्याय 11 के पद क्रमांक 149 में स्पष्ट प्रावधान दियागया है कि- " कतिपय भूमियों में पटटेदारकास्तार के अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होगे- रीवा रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी कोड 1935 अथवा इस अधिनियम अथवा तत्सयम लागू किसी भी कानून में किसी बात के रहते हुये भी निम्नलिखित भूमि में पटटेदार कास्तकार के अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होंगे और न प्राप्त हुये समझे

जायेगे - बाग की भूमि, चारागाह, तालाब, सरकारी बांध एवं किसी लोकोपयोगी उददेश्य अथवा कार्य के लिये अधिगत या कब्जे में की गई भूमि ।"

संहिता की धारा 251 में प्रावधान है कि संहिता के प्रभावशील होने पर पूर्व में तालाबो के संबंध में दिये गये सभी अधिकार समाप्त हो जायेंगे और सभी तालाब राज्य शासन में वेष्टित होंगे । चूँकि आवेदिकागण उक्त प्रावधान के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहीं है । इसी कारण तीनों अधीनस्थ न्यायलयों द्वारा उक्त प्रावधान पर विचार किये जाने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमियां राज्य शासन में वेष्टित किये जाने का निष्कर्ष विधिसंगत एवं नियमों के अंतर्गत होने से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से यथावत रखा जाता है।

(आर.के. जैन) 20/9/18
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,